

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***

**\*(पत्रांक-116/2024 दिनांक 25.04.2024)\***

**\*दिनांक-25.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*“आलोक हत्या काण्ड” का खुलासा, घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साईकिल, मोबाईल फोन आदि मय आलाकत्ल के साथ घटना में सम्मिलित आरोपी पत्नी सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.04.2024 को थाना कप्तानगंज, स्वाट एवं साईबर की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/2024 धारा 302/201/120 बी भा.द.वि. की विवेचना थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा की जा रही थी मुकदमा उपरोक्त मे घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि मुखबिर की सूचना पर आलोक प्रताप सिंह की निर्मम तरीके से जिन अभियुक्तगणों द्वारा योजना बनाकर हत्या की गयी थी। उनमें से दो अभियुक्तगण हीरो स्पेण्डर नं0 UP 52 BD 0878 से साखोपार होते हुये बोदरवार के रास्ते गोरखपुर भागने के फिराक में थे कि अम्बेडकर मूर्ति के पास से दोनो व्यक्तियों को मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। सर्वप्रथम मोटरसाईकिल पर आगे बैठे चालक से उसका नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम रजनीश कुमार सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व0 अजय सिंह निवासी जमुनी बरवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर बताया तथा जामा तलाशी लेने पर पहने जिन्स पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल रेडमी स्काई ब्लू कलर मो0नं0 6387556399 IEMI NO 1. 866498040122052 व IEMI NO 2. 866498040122060, जिन्स पैन्ट की बायीं जेब से एक अदद की मोबाईल वीवो कम्पनी गोल्डेन कलर प्लास्टिक का पारदर्शी कवर लगा हुआ जिसका मो0नं0 8887873377 IEMI NO 1. 865639062218671 व IEMI NO 2. 865639062218663, बायीं जेब से पांच- पांच सौ के 6 नोट कुल 3000/- रू बरामद हुआ तथा पीछे बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम रियाजुद्दीन पुत्र दिलजान निवासी जमुनी बरवां थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर बताया। जामा तलाशी लेने पर पहने लोवर की दाहिने जेब से पांच-पांच सौ रूपये के चार अदद भारतीय मुद्रा के नोट कुल 2000/- रूपये बरामद हुये। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य वांछित महिला अभियुक्ता को सुधियानी रेलवे ढाला के पास से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे जुर्म धारा 201/120बी भा.द.वि. की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*मृतक का नाम-\***

आलोक प्रताप सिंह पुत्र कृष्ण मोहन सिंह साकिन जमुनी बरवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

### **\*घटना का संक्षिप्त विवरण-\***

वादी मुकदमा के भाई आलोक प्रताप सिंह दिनांक 20.04.2024 को समय करीब 21.00 बजे रात्रि मे धौरा नहर सड़क पर अभियुक्त रजनीश उर्फ छोटू सिंह अपने साथी रियाजुद्दीन उपरोक्त के साथ मिलकर पूर्व मे बनायी गयी योजना के मुताबिक एक राय होकर लोहे के हथौड़े से आलोक के सिर पर प्रहार कर निर्मम हत्या कर देना ।

### **\*हत्या का उद्देश्य-\***

मृतक आलोक प्रताप सिंह जो विछले कुछ वर्षो से विदेश रहता था जिसके दौरान मृतक आलोक की पत्नी का प्रेम प्रसंग ग्राम जमुनी बरवां के रहने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह से हो गया था। रजनीश उर्फ छोटू सिंह और रियाजुद्दीन दोनो बचपन के दोस्त है, दोनो में बहुत पक्की दोस्ती थी तथा रजनीश कुमार सिंह का सम्बन्ध गाँव की ही अर्चना उर्फ रीना सिंह से हो गया। रजनीश कुमार सिंह ने उसके पति आलोक प्रताप सिंह से दोस्ती बढ़ाई और रजनीश सिंह व आलोक प्रताप सिंह से काफी घुल मिल गया परन्तु रजनीश कुमार सिंह के इस आपराधिक सोच के बारे में आलोक प्रताप सिंह को भनक नहीं लगने दी जब आलोक प्रताप सिंह दुबई में वर्किंग बीजा लेकर नौकरी के लिये चला गया तो तभी रजनीश कुमार सिंह ने इस मौके का फायदा उठाकर आलोक प्रताप सिंह की पत्नी अर्चना उर्फ रीना सिंह से नजदीकिया बढ़ाई तथा हँसी मजाक के साथ साथ धीरे- धीरे रजनीश सिंह व अर्चना सिंह के बीच सम्बन्ध स्थापित हो गये रजनीश सिंह के मन में उसकी छवि पत्नी की तरह स्थापित हो गई तथा अर्चना सिंह भी आलोक प्रताप सिंह के अनुपस्थित में रजनीश सिंह को मन ही मन अपना पति स्वीकार करने लगी थी तथा दोनो मे मोबाईल से आपस में रात दिन पति- पत्नी की तरह बातें होने लगी नार्मल काल के अलावा दोनो मोबाइल व्हाटसूप् में वीडियो काल व व्हाटसूअप वाइस काल से भी लगातार अनवरत रूप से बात करने के आदी हो गये थे तथा आराम से जिन्दगी मस्ती से कट रही थी कि जनवरी 2024 की शुरूआत में आलोक प्रताप सिंह दुबई से सदैव के लिये घर आ गया जिससे रजनीश सिंह व अर्चना उर्फ रीना सिंह से मिलना जुलना बंद हो गया परन्तु बातचीत मोबाईल द्वारा जारी रही लेकिन दोनो परेशान रहने लगे क्योंकि दोनो की मस्ती वाली आजादी में आलोक प्रताप सिंह के वजह से विराम व ठहराव लगने लगा तथा जब रजनीश सिंह और अर्चना सिंह को यह पता लगा कि आलोक प्रताप सिंह द्वारा अपना वीजा निरस्त करा दिया गया है अब वह कभी विदेश नहीं जायेगा यहीं अपने गाँव जमुनी बरवां में रहेगा इस पर रजनीश सिंह ने अर्चना सिंह उर्फ रीना सिंह से मोबाइल से सम्पर्क किया तथा आलोक प्रताप सिंह को रास्ते से हटाकर उसके साथ आगे की जिन्दगी पति पत्नी के रूप में निभाने की योजना बनाई थी ।

### **\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 188/2024 धारा 302/201/120बी भा.द.वि.

### **\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1-रजनीश कुमार सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व0 अजय सिंह निवासी जमुनी बरवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 2-रियाजुद्दीन पुत्र दिलजान निवासी जमुनी बरवां थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 3-एक अन्य महिला (मृतक की पत्नी)

### **\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1-दो अदद मोटर साइकिल क्रमशः डिस्कवर मो0सा0 नं0 UP 52 AD 2856 बरंग ब्लैक सिल्वर हीरो स्पेलेन्डर मो0सा0 नं0 UP 52 BD 0878 बरंग ब्लैक सिल्वर
- 2-एक अदद मोबाइल रेडमी स्काई ब्लू कलर
- 3-एक अदद की मोबाइल वीवो कम्पनी गोल्डेन कलर प्लास्टिक का पारदर्शी कवर लगा हुआ जिसका
- 4-एक अदद आलाकत्ल हथौड़ा

### **\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

- 1- प्र0नि0 मनोज कुमार पन्त मय टीम साइबर सेल थाना जनपद कुशीनगर ।
- 2-थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
- 3-उ0नि0 आलोक यादव मय टीम प्रभारी स्वाट जनपद कुशीनगर ।
- 4-उ0नि0 शरद भारती प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम जनपद कुशीनगर ।
- 5-व0उ0नि0 सूर्यभान यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
- 6-उ0नि0 प्रदीप कुमार कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
- 7-म0उ0नि0 उपासना चतुर्वेदी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
- 8-म0का0 अंशिका भारती थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
- 9-म0का0 रीता शर्मा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।

**\*थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा 03 अदद चार पहिया वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही कुल 13 राशि गोवंश के साथ पांच गौ-तस्करों को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 24.04.2024 को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति द्वारा पिकअप से अवैध तरीके से गोवंशीय पशुओं को हाईवे से बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना तरया सुजान की पुलिस टीम द्वारा 02 अदद बोलेरो पिकअप, 01 अदद मैजिक पिकअप से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही कुल 13 राशि गोवंश बरामद कर मौके से 05 नफर गौ-तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 139/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

01. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
02. मु0अ0सं0 139/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

1. राजेन्द्र लाल पुत्र ब्रह्मा लाल निवासी बसडीला बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. अमरेन्द्र गोड़ पुत्र जयकिशुन सा0 गोसाईपटटी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. श्याम सुन्दर यादव पुत्र जगदीश यादव सा0 राजपुर खास थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. विनय कुमार पुत्र गांधी खरवार निवासी बसडीला बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5. सागर यादव उर्फ बुलेट पुत्र रामायन यादव नि0 हरखौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. 13 राशि गोवंश (06 राशि गाय व 07 राशि बछिया)
02. 02 अदद बोलेरो पिकअप व 01 अदद मैजिक पिकअप

**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1. प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 रणविजय सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 अमित सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. का0 रवि कुमार राजभर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. का0 बृजेश यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7. का0 बाबू राम सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
8. का0 विलास यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
9. का0 निशांत कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
10. का0 रविकांत यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
11. का0 रणजीत कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

**\*थाना कसया पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.04.2024 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0474/2020 धारा 60(1)/60(2) आ0अधि0 व 272 भादवि में वांछित अभियुक्त गोलू पुत्र बलई निवासी भैसहा पासी टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 0474/2020 धारा 60(1)/60(2) आ0अधि0 व 272 भादवि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

गोलू पुत्र बलई निवासी भैसहा पासी टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

01. प्र0नि0 श्री गिरिजेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 सत्यप्रकाश तिवारी थाना कसया कुशीनगर
03. हे0का0 साहिल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.04.2024 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 127/24 धारा 376/506 भादवि व 5 J (ii) /6 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 127/24 धारा -376/506 भादवि व 5 J (ii) /6 पाक्सो एक्ट

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

दूधनाथ पटेल पुत्र परसन पटेल ग्राम अमवाँ चौधरी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विनायक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
3. प्रशिक्षु उ0नि0 राहुल कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 संजय यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 विजय बहादुर सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

**\*थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.04.2024 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 1180/2011 धारा 379/411भादवि0 से सम्बन्धित वारण्टी राजकिशोर पुत्र पवारु चौहान साकिन कण्ठीछपरा थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0नं0 1180/2011 धारा 379/411भादवि0

**\*गिरफ्तार वारण्टी-\***

राजकिशोर पुत्र पवारु चौहान साकिन कण्ठीछपरा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. प्र०नि० श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री अखिलेश तिवारी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का० सर्वेश कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4. का० विवेक यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

**\*थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.04.2024 को थाना खड्डा पुलिस की टीम द्वारा मु०अ०स०-2198/14 धारा- 379/411 भादवि० व 4/10 F.Act से संबंधित एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०अ०स०-2198/14 धारा- 379/411 भादवि० व 4/10 F.Act

**\*गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त-\***

ओमप्रकाश पुत्र पल्लू साकिन सिसवा गोपाल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

- 1-निरीक्षक श्री नीरज कुमार राय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० शंशाक राय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 3-हे०का०सौरभ भारत थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 41 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 05 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-80, व्यक्ति-581
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(12)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-53)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***